

कार्यालय नगरपालिका परिषद, देवरिया।

अति अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, देवरिया के वर्ष 2017-2018 में पंजीकृत व नवीनीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि 14 वॉ वित्त/अवस्थापना विकास निधि से निम्न निर्माण कार्यो को कराये जाने हेतु दिनांक 03/06/17 को प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जो पालिका में अधिशासी अधिकारी कार्यक्षेत्र एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एल0बी0सी0पटल पर रखी गयी निविदा बाक्स में निविदा डाली जायेगी एवं उपस्थित ठेकेदार गण के सम्मुख उसी तिथि को सांय 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 02/06/17 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 2.00 बजे तक पालिका के निर्माण अनुभाग एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एल0बी0सी0पटल से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ यथेष्ट मूल्य की धरोहर धनराशि के रूप में एन0एस0सी0/के0बी0पी0/एफ0डी0आर0/नगद फार्म-5 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, देवरिया के पदनाम बंधक हो संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना होगा। जमानत प्रपत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। उक्त विज्ञापन को WWW.deoria.nic.in व पालिका के चालू वेबसाइट WWW.municipal.deoria.in पर देखे जा सकते हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	आगणन घनांक	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
1.	वार्ड नं0 7/9 में कसया बाईपास सड़क सुधार कार्य (हाट मिक्स प्लांट से)	12263000.00	1226300.00	12270.00	छः माह
2.	वार्ड नं0 24 कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क का नवीनीकरण कार्य (हाट मिक्स प्लांट से)	908000.00	90800.00	910.00	एक माह

नियम व शर्तें -

1. रेट परसेंटेज बेसिस पर भरे जाए।
2. निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होनी चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।
4. निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर कार्य पूर्ण करना आवश्यक है, भुगतान की कार्यवाही समयवृद्धि के उपरान्त की जायेगी।
5. निर्माण कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर जमानत धनराशि जब्त की जा सकती है।
6. ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किए जाने की दशा में विलम्ब पर अर्थदण्ड भी देय होगा।
7. पालिका में पंजीकृत किसी भी ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि एवं सहयोगी द्वारा किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार/अशिष्टता/अभद्रता अथवा अमर्यादित आचरण आदि किया जाता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराते हुए सम्बन्धित ठेकेदार के पंजीयन को निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही अवशेष भुगतान की धनराशि भी जब्त की जा सकती।
8. बिना कार्यादेश जारी हुए कार्य प्रारम्भ करने पर भुगतान की जिम्मेदारी नगरपालिका परिषद, देवरिया की नहीं होगी इसके लिए ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
9. ठेकेदार को तीन चरणों का फोटो ग्राफ्स कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं मध्य व कार्य समाप्ति का फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. कार्य एवं श्रमिक का पंजीकरण श्रम विभाग से कराना अनिवार्य होगा तभी भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
11. उल्लिखित कार्यो की निविदा पत्र लेने के वही ठेकेदार पात्र होंगे जो हाट मिक्स प्लांट के धारक होंगे।
12. कार्य सं0 01 की निविदा दो लिफाफा में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, देवरिया के पदनाम निविदा बाक्स में डाली जायेगी प्रथम-टेक्निकल बिड एवं द्वितीय फाइनेंसियल बिड सर्व प्रथम टेक्निकल बिड खोली जायेगी जिसके बैच पाये जाने की दशा में ही (द्वितीय लिफाफा) फाइनेंसियल बिड खोली जायेगी।
13. प्राप्त निविदाओं पर किसी भी विवाद की दशा में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
14. निविदा की वैधता छः माह होगी।
15. एक या समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
16. अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में निर्माण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती है।

(श्रीमती अलका सिंह)
अध्यक्ष

(3)
नगरपालिका परिषद, देवरिया।

(डा0 नगि भूषण तिवारी)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, देवरिया